न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या :— 07/2021

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. भुण्डी देवी विधवा पूनाराम जाति गुर्जर निवासी गुर्जरों का बास, खोखरा, तहसील सोजत, जिला पाली	1.	सुजाराम पुत्र धीसाराम जाति गुर्जर निवासी बेरा बिजुडीया, खोखरा, तहसील सोजत, जिला पाली
2. रामलाल पुत्र पूनाराम जाति गुर्जर निवासी गुर्जरों का बास, खोखरा, तहसील सोजत, जिला पाली (राज0)।	2	ताराराम पुत्र धीसाराम जाति गुर्जर निवासी बेरा बिजुडीया, खोखरा, तहसील सोजत, जिला पाली।
3. कालूराम पुत्र पूनाराम जाति गुर्जर निवासी गुर्जरों का बास, खोखरा, तहसील सोजत, जिला पाली (राज0)।	3	चम्पादेवी पत्नी भगवानराम पुत्री धीसाराम जाति गुर्जर निवासी रायरा सिंगपुरा तहसील सोजत, जिला पाली राज0।
	4	शांति देवी पत्नी धन्नाराम पुत्री धीसाराम जाति गुर्जर निवासी अटबडा, तहसील सोजत, जिला पाली राज0।
	5	समुडी देवी पत्नी रामलाल पुत्री धीसाराम जाति गुर्जर निवासी सरदारपुरा, तहसील सोजत, जिला पाली राज0।
	6	सरपंच ग्राम पंचायत खोखरा, पंचायत समिति सोजत, तह0 सोजत, जिला पाली, (राज0)।

<u>राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75(1)(डी) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>
<u>विरूद्ध ना.स. 1595 स्वीकृत दिनांक 20.07.2018 सरपंच ग्राम पंचायत खोखरा</u>

तारीख रजू :— 02.07.2021

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री महावीर प्रसाद मेवाडा अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट संख्या 5, सरपंच ग्राम पंचायत खोखरा

एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 उपस्थित।

—: <u>निर्णय</u> :— दिनांक — 13.12.2021

अधिवक्ता अपीलान्टान ने एक राजस्व अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टान अन्तर्गत धारा 75(1)(वी) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि सरहद मौजा खोखरा, पटवार हल्का खोखरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वगडी तह0 सोजत में खसरा संख्या 1753 रकबा 0.0700 हैक्टर, किस्म गै.मु. एवं खसरा संख्या 1754 रकबा 2.2600 हैक्टर, किस्म बारानी दोयम कुल किता 2 रकबा 2.3300 हैक्टर उक्त कृषि भूमि स्थित है, जो कृषि भूमि

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

अपीलाण्ट एवं रेस्पोंडेण्टान के पूर्वज धीसा पुत्र रूगा कौम गुर्जर की हक हकूक खातेदारी की कृषि भूमि है। मूल पुरूष धीसाराम की वंशावली अनुसार धीसाराम के छः जाईन्दा संतान जिनमें से तीन पुत्र क्रमशः पूनाराम, सुजाराम, ताराराम तथा तीन पुत्रियां क्रमशः धन्नादेवी, शांतिदेवी तथा समुडी देवी है। पूनाराम के फौत हो जाने से उसकी पत्नी भूरीदेवी तथा दो पुत्र रामलाल तथा कालूराम है। उपरोक्त वंशवृक्ष में से धीसाराम तथा पूनाराम की मृत्यु हो चुकी है। धीसाराम की मृत्यु हो जाने से वादस्थ कृषि जोत की भूमि में धीसाराम के खातेदारी हक उत्तराधिकारी में धीसाराम के पुत्र पुनाराम में 1/6 हिस्सा, सुजाराम रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 में 1/6 हिस्सा, ताराराम रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 में 1/6 हिस्सा एवं पुत्रीयां शांति रेस्पोंडेण्ट संख्या 4 में 1/6 हिस्सा, समुडी रेस्पोंडेण्ट संख्या 5 में 1/6 हिस्सा अंतर्निहित हुआ। जिसका धीसाराम के फौतेदगी म्यूटेशन के जरिये धीसाराम के उत्तराधिकारीगण के नाम खातेदारी दर्ज की गई। अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 के पिता एवं अपीलाण्ट संख्या 1 के पति पूनाराम ने अपने जीवनकाल में वादस्थ कृषि जोत की भूमि में अपने 1/6 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा यानि 1/30 हिस्सा खातेदारी हक को अपने भाई रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 सुजाराम के पक्ष में हकतर्क जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 08.06.2018 को कर दिया। परन्तु रेस्पोंडेण्ट संख्या 6 तत्कालीन सरपंच द्वारा तत्कालीन राजस्व अधिकारी द्वारा गलती से असावधानी पूर्वक लगाये गये नोट "जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 08.06.2018 में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 12 पृष्ठ संख्या 33, क्र.सं. 201803329100530 पर दर्ज अनुसार नामान्तरकरण दर्ज कर वास्ते जांच श्रीमान की सेवा में पेश है", के आधार पर बिना जांच किये गलती से असावधानीपूर्वक पूनाराम द्वारा सुजाराम रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में हकतर्क किये गये 1/30 हक हिस्से के स्थान पर पूनाराम के पूरे 1/6 हिस्से का नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया एवं तदनुसार पूनाराम के हकतर्क करने के पश्चात् पूनाराम के वादस्थ कृषि भूमि में बचे हिस्से 2/15 का लोप हो गया एवं पूनाराम का शेष बचा हिस्सा भी रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 सुजाराम की खातेदारी में जोड दिया गया व आगे की जमाबंदी में उक्त नामान्तरकरण के आधार पर जमाबंदी संवत 2075 से 2078 में पूनाराम का शेष बचा हिस्सा गायब करते हुए रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 सुजाराम का 1/6 हिस्सा रखते हुए पुनः सुजाराम के नाम दर्ज कर सुजाराम ताराराम पिसरान धीसाराम का हिस्सा 2/6 दर्ज कर दिया। इस दरमियान पूनाराम की मृत्यु दिनांक 30.01.2019 हिन्दी तिथि के अनुसार माघ बद दशमी संवत 2075 को हो गई। संवत 2071 से 2074 की जमाबंदी में उक्त हकतर्कनामा का उल्लेख करते हुए अपीलाण्ट संख्या 1 के पति एवं अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 के पिता पूनाराम का शेष बचा हिस्सा 2/15 दर्ज करना चाहिये था एवं पूनाराम का फौतेदगी म्यूटेशन स्वीकृत कर अपीलाण्टान का वादस्थ कृषि भूमि में 2/15 दर्ज करना चाहिये था। अपीलाण्ट वादस्थ कृषि भूमि के 2/15 हिस्सा पर आज भी पूनाराम के जीवनकाल के समय से कब्जा काश्त है। रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 सुजाराम का वादस्थ कृषि भूमि में उसका स्वयं का 1/6 हिस्सा एवं पूनाराम के द्वारा उसके पक्ष में जरिये पंजीकृत हकतर्कनामा के द्वारा उसके पक्ष में जरिये पंजीकृत हकतर्कनामा के हकतर्क किये गये 1/30 हक हिस्से सहित कुल 1/5 हक हिस्सा ही होता एवं अपीलाण्ट का 2/15 हिस्सा होता है। स्पष्ट है कि म्यूटेशन संख्या 1595 दिनांक 20.07.2018 भरा जाकर स्वीकृत किया गया है जो म्यूटेशन जेर अपील है, स्वयं में अवैध है। रेस्पोंडेण्ट संख्या 6 सरपंच ग्राम पंचायत खोखरा द्वारा बिना किसी आधार के महज राजस्व अधिकारी की

उप खण्ड अधिकारी

रिपोर्ट पर भरोसा कर बिना जांच किये असावधानीपूर्वक नामान्तरणकरण जैर अपील स्वीकृत करने में भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, जो म्यूटेशन निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसे नामान्तरकरण से अपीलाण्टान के खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे है। वादस्थ कृषि भूमि में पूनाराम की मृत्यु होने के पश्चात् अपीलाण्ट पूनाराम के फौतेदगी म्यूटेशन हेतु कार्यवाही करने के लिये अधिवक्ता श्री पुनित दवे से दिनांक 05.07.2021 को मिले। अधिवक्ता पुनित दवे के कहेनुसार अपीलाण्ट ने रेवेन्यू रेकर्ड जमाबंदी की नकले प्राप्त करने हेतु पटवारी से मिले तब पटवारी ने रेकर्ड देखकर बताया कि पूनाराम का पूरा पूरा हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 08.06.2018 को सुजाराम के हक में दर्ज कर दिया गया है। तब अपीलाण्ट ने तहसीलदार साहब भू अभिलेख निरीक्षक सोजत से जमाबंदी संवत 2071–2074, 2075–2078 एवं नामान्तरकरण संख्या 1595 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 08.07.2021 को प्राप्त की एवं दिनांक 09.07.2021 को उक्त पंजीकृत हकतर्कनामा की प्रतिलिपि प्राप्त की जिससे अपीलाण्ट को दिनांक 08.07.2021 को एवं दिनांक 09.07.2021 को जानकारी हो पाई कि उनके पति एवं पिता पूनाराम के वादस्थ कृषि भूमि के खातेदारी हक गलती से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सुजाराम के खातेदारी हक में जोड दिये गये है। तब जानकारी होने पर अपीलाण्ट यह अपील प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में अब तक की हुई देरी को कण्डोन करना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार अधिवक्ता मय अपीलाण्ट ने राजस्व अपील मय शपथ–पत्र एवं धारा 5 मयाद अधि. प्रार्थना पत्र शपथ–पत्र तथा दस्तावेजात पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्टस के ध्यान में आने पर कि अपीलाधीन नामान्तरकरण भरते समय पंजीबद्ध दस्तावेज हकतर्क में अंकित तथ्यों के विपरीत बिना जांच किये गलत रूप से पारित किया है। दिनांक 28.07.2021 व 09.07.2021 को नकले प्राप्त करने से ना.क. 1595 स्वीकृति तिथि 20.07.2018 से अपील पेश करने की तिथि 20.07.2021 तक की अवधि को कण्डोन किया जावे। राजस्व अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर ना.सं. 1595 दिनांक 20.07.2018 को निरस्त किये जाने एवं उक्त वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपीलान्ट के पति/पिता पूनाराम के वादस्थ भूमि के 2/15 हिस्सा अपीलाण्टस की खातेदारी हक हिस्सा का पूनाराम को फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किये तथा पूनाराम द्वारा सूजाराम रेस्पा. संख्या 1 के पक्ष में किये गये 1/30 हक हिस्से का पंजीबद्ध दस्तावेजात तथा विधिक वारिसानों की वास्तविक एवं सही रूप से जांच कर दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट जरिए सम्मनस तलब किये गये। रेस्पो. संख्या 1, 2 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद मेवाडा ने दिनांक 05.10.2021 को वकालतनामा पेश किया, सा. मि. है। रेस्पो. संख्या 3 से 5 को बावजूद तामिली सूचना बार बार आवाजें दिलायी जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 13.12.2021 को की गई। तहसीलदार सोजत द्वारा वांछित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, सामिल मिसल किया गया।

बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि अपीलाधीन ना. सं. 1595 दिनांक 20.07.2018 से अपील पेश करने की तिथि 20.07.2021 तक की अवधि को कण्डोन/क्षम्य करके राजस्व अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन ना. सं. 1595 दिनांक 20.07.2018 बिना दस्तावेज की जांच किये गलत तथा अवैध

उप खण्ड अधिकारी (जिला-पाली) राज.

रूप से भरा गया को खारिज किये जाने तथा वास्तविक एवं सही रूप से 1/30 हिस्से के किये गये हकतर्क का नामान्तरण रेस्पा. संख्या 1 के हक में तथा शेष 2/15 हिस्से का अपीलान्ट के पिता पूनाराम के विधिक वारिसानों की जांच कर नये सिरे से विधिसम्मत, नामान्तरण दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर बहस जवाब के दौरान अधिवक्ता रेस्पो. ने स्वीकारोक्ति/सहमति व्यक्त कर दुरूस्त नामान्तरकरण की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व अपील मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात धारा 5 मयाद अधि. प्रा. पत्र मय शपथ–पत्र तथा तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। धारा 5 मयाद अधि. प्रा. पत्र में दर्शित युक्तियुक्त कारण होने से प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। ना. सं. 1595 दिनांक 20.07.2018 से अपील पेश करने की तिथि 20.07.2021 की अवधि को कण्डोन (क्षम्य) किया जाता है। अधिवक्ता राजस्व अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना, अपीलाधीन अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बिना दस्तावेज जांच किये जाने से ना. सं. 1595 दिनांक 20.07.2018 खारिज योग्य होने से खारिज किया जाना तथा तहसीलदार, सोजत को इस निर्देश के साथ कि पूनाराम द्वारा सूजाराम रेस्पो. संख्या 1 के पक्ष में हकतर्क किये गये 1/30 हक हिस्सा दर्ज कर अपीलान्ट के पिता पूनाराम की शेष रही 2/15 हिस्सा दर्ज करते हुए उनके विधिक वारिसानों के नाम विधि सम्मत नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते है।

–: <u>आदेश</u> :–

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्टान स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण संख्या 1595 दिनांक 20.07.2018 बिना दस्तावेज पंजीबद्ध की जांच किये विधि–विरूद्ध एवं गलत दर्ज किया जाना पाया गया है। लिहाजा नामान्तरकरण संख्या 1595 दिनांक 20.07.2018 खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह पुनः पंजीबद्ध दस्तावेज 1/30 हिस्सा हकतर्क की जांच कर के रेस्पो. सं. 1 के नाम 1/15 हिस्सा दर्ज करके शेष 2/15 हिस्से की भूमि अपीलान्ट के पिता पूनाराम के समस्त विधिक वारिसानों के नाम विधि सम्मत नामान्तरकरण दर्ज करे। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार हो।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 13.12.2021 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.